तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/2/23	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान बहस पूर्व मे सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, प्रार्थीगण की पुश्तैनी सहदायिकी सम्पति के आधार पर पेश किया है व बताया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम बेनण मे ख.सं. 161, 426, 426/1, 430, 441, 797 कुल रकबा 6.1484 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के दादा अप्रार्थी सं. 1 को पुश्तैनी सम्पति में जरिये विरासत प्राप्त होने के आधार पर पेश किया है व बताया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण को अपने दादा, परदादा से पुश्तैनी सम्पति मे प्राप्त हुई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजो का परिशीलन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2075-2078 के अनुसार ग्राम बेनण के ख. सं. 161, 426, 426/1, 430, 441, 797 में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि मे उक्त प्रार्थना पत्र, पुश्तैनी सहदायिकी सम्पति के आधार पर पेश किया है। परंतु पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे भूमि पुश्तैनी सिद्ध हो। उक्त विवादग्रस्त भूमि पुश्तैनी कैसे है, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर था। परंतु दस्तावेजो से प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है। प्रथमदृष्टतया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। साथ ही अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होगी तो आज के राजस्व रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।	

(4)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA 1955 प्रथमदृष्टतया अपूरणीय क्षति व सुविधा के संतुलन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध नहीं करने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल बार के साथ नत्थी हो।
	(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible] शहर (जोधपुर)